प्रेस नोट
दिनांक 16.10.2024, थाना को0देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-442/24, धारा 137(2), 352, 351(3) 64(2)ड बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र राम सुन्दर शर्मा निवासी करियापुरवा रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.10.2024 को थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0देहात पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 64(2)ड बीएनएस व 5ठ/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 16.10.2024 को आरोपी अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र राम सुन्दर शर्मा निवासी करियापुरवा रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. राहुल शर्मा पुत्र राम सुन्दर शर्मा निवासी करियापुरवा रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-442/24, धारा 137(2), 352, 351(3) 64(2)ड बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 पवन कुमार गिरी
02. हे0का0 रवि प्रकाश यादव
03. का0 बलवन्त कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16.10.2024, थाना को0कर्नलगंज,

जनपद गोण्डा।

सोशल मीडिया पर हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुचाने व शान्ति व्यवस्था खराब करने के उद्देश्य से देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चीमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 445/2024, धारा 299, 196ए बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अरशद पुत्र नुसरत निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा को उसकी साइकिल की दुकान से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.10.2024 को श्री दुर्गा पूजा महोत्सव कैलाश बाग मय कमेटी के अध्यक्ष शिवशंकर भट्ट द्वारा थाना कोतवाली कर्नलगंज को लिखित सूचना दी कि सोशल मीडिया पर हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुचाने व समाज में शान्ति व्यवस्था बिगाडने के लिए देवी देवताओं पर टिप्पणी की गयी। इस आपत्तिजनक पोस्ट से लोगो में काफी रोष व्याप्त है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियोग में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कोतवाली कर्नलगंज को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.10.2024 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणी करने वाले अभियुक्त अरशद पुत्र नुसरत निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा को उसकी साइकिल की दुकान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरशद पुत्र नुसरत निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 445/2024, धारा 299, 196ए बीएनएस थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सोमप्रताप सिंह
02. का0 राहुल राठौर
03. का0 अंकुर पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा